न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 21/2021

अनवान :–

1. विमला पत्नी ईशरराम जाति सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।

सायला

बनाम्

1. चोरूलाल पुत्र रामेश्वरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
2. खजानी पत्नी भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. चंचल देवी पुत्री भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
6. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
7. भजनलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
8. भागु उर्फ मांगीलाल मृतक जरिये वारिसान

   8/1 कृष्णादेवी पत्नी मांगीलाल
   8/2 मदनलाल पुत्र मांगीलाल
   8/3 सन्तरों देवी फोत जरिये वारिसान
   8/3/1 राकेश कुमार पुत्र सन्तरों देवी
   8/3/2 निशा पुत्री सन्तरों देवी
   8/3/3 माना पुत्री सन्तरों देवी
   8/3/4 मुकेश पुत्री सन्तरों देवी
   8/4 पान्ना पुत्री मांगीलाल
   8/5 महावीर पुत्र मांगीलाल
   8/6 किसन पुत्र मांगीलाल फोत जरिये वारिसान
   8/6/1 रीतु पुत्री किसन
   8/6/2 मोनिका पुत्र किसन
   8/6/3 अल्का पुत्री किसन
   8/6/4 आईयान पुत्री किसन
   8/7 राजु पुत्र मांगीलाल फोत जरिये वारिसान
   8/7/1 तमन्ना पुत्री राजु समस्त जाति सैनी निवासीगण चक 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सोना देवी पुत्री भंवरलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री विजयसिह कडवासरा अभिभाषक, प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक : 20/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनि[illegible]न किया की अराजी जरई खाता संख्या 145/119 की कुल 2.100हैक रोही [illegible] 25 एनटीआर की सायला के कब्जा काश्त की खातेदार काश्तका[illegible]

अराजी जरई खाता संख्या 46/32 [illegible] कुल 7.1350हैक भूमि[illegible]यल संख्या 1 ता 9 एवं वारिसान के कब्जा काश्त की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

सायला के खेत का रास्ता सदामत से प0न0 334/427 (14) के किला नम्बर 25 तक मंजुरशुद्वा रास्ता से होकर किला न0 25/2 कि 0.2280हैक्ट भूमि में दक्षिण किनारे पूर्व से पश्चिम अपने खेत के प0न0 334/427(14) किला न0 24 में प्रवेश कर जाती है जो पिछले 40 सालों से चालू है यह रास्ता सायला के खेत के लिऐ नजदीकी व सुविधाजनक है।

सायला उक्त रास्ता से पिछले 40 सालों से आवागमन कर रही है किन्तु गैरसायलान उक्त रास्ता को बन्द करने की घमकी दे रहे है पुर्व में भूमि सयूक्त खाते में थी घरू बटवारा करने पर सायला को उक्त भूमि प्राप्त हुई थी सायला को घरू बटवारा में प्राप्त भूमि के बदले में गैरसायलान को भूमि दी हुई है इस रास्ता के बदले में गैरसायल को 4 बिश्वा भूमि मु0न0 14 के किला न0 24/2 में 0.0510हैक्ट ज्यादा की हुई है जो गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

सायला जिस रास्ता से अपने खेत में आवागमन कर रही है वह रास्ता मौके पर चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायलान बन्द करने की घमकी दे रही है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला जो एक छोटा काश्तकार है को अपूर्णीय क्षति होती है एव सायला अपनी भूमि को काश्त करने से बंचित हो जावेगी।

सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत शुद्वा रास्ता से आगें जाने के लिये कोई रास्ता है केवल मात्र उक्त रास्ता ही सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपलब्ध यदि गैरसायलान ने इसे बन्द कर दिया जो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी ।

सायला ने गैरसायलान को कई मर्तबा कहा की चालु रास्ता जो सायला की भूमि तक आता है जो वर्तमान में चालू है को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करतें रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/427 (14) के किला न0 25/2 की 0.2280हैक्ट व किला न0 24/2 की 0.0510हैक्ट भूमि मे सें दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 2 बिश्वा यानी 2 गढढा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायलान को रजिस्ट्रर्ड सम्मन /नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी गैरसायलान या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 20.05.2024 को निर्णय पारित किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्व गैरसायल चोरूलाल के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 22.08.2024 को निर्णय पारित किया जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.05.2024 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया की पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया उभयपक्षों को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया सायलान की और से अधिवक्ता उपस्थित एवं गैरसायल संख्या 1, 8/2, 8/6/1 ता 8/6/4 , 8/7/1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये शेष पक्षकार रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय मे उपस्थित नही आये ... कार्यवाही की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:08 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल संख्या 1, 8/2, 8/6/1 ता 8/6/4 , 8/7/1 के अधिवक्ता ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायल की भूमि खाता संख्या 145/119 के प0न0 334/427(14) किला न0 1 ता 4 ,7 ,8

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

,13 ,14 ,17 ,24 मे पडती है तथा प0न0 333/427(13) के किला न0 1 ता 5 में मन्जुरशुद्वा रास्ता है जो साय के खेत के चिपते हुए है तथा किला न0 2 में ढाणी बना रखी है तथा सायला हमेशा से ही प0न0 333/427(13) किला न0 1 में से होकर अपने खेत में प्रवेश करती है यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है इसलिये किला न0 1 में से रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी है यह प्रार्थना पत्र केवल हेरान परेशान करने के लिये पेश किया गया है प्रार्थी उत्तरदाता की भूमि शामिल खाते में हे सायला ने विधि विरूद्व तरीके से बिना सुनवाई का अवसर दिये मनमाने तरीके से निशुल्क अवैध रास्ता स्वीकृत करवा लिया था जो श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसलिये तहसीलदार नोहर से पुनः रिपोर्ट ली जाकर पुनः मौका निरीक्षण किया जार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया गया माननीय राजस्व अपील अध्किारी हनुमानगढ के निर्देशानुसार सभी पक्षकारन का सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अराजी जरई खाता संख्या 145/119 की कुल 2.100हैक रोही मौजा चक 25 एनटीआर की सायला के कब्जा काश्त की खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या 46/32 की कुल 7.1350हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 9 एवं वारिसान के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है

सायला के खेत का रास्ता सदामत से प0न0 334/427 (14) के किला नम्बर 25 तक मंजुरशुद्वा रास्ता से होकर किला न0 25/2 कि 0.2280हैक भूमि में दक्षिण किनारे पूर्व से पश्चिम अपने खेत के प0न0 334/427(14) किला न0 24 में प्रवेश कर जाती है जो पिछले 40 सालों से चालू है यह रास्ता सायला के खेत के लिए नजदीकी व सुविधाजनक है।

सायला उक्त रास्ता से पिछले 40 सालों से आवागमन कर रही है किन्तु गैरसायलान उक्त रास्ता को बन्द करने की घमकी दे रहे है पुर्व में भूमि सयूक्त खाते में थी घरू बटवारा करने पर सायला को उक्त भूमि प्राप्त हुई थी सायला को घरू बटवारा में प्राप्त भूमि के बदले में गैरसायलान को भूमि दी हुई है इस रास्ता के बदले में गैरसायल को 4 बिश्वा भूमि मु0न0 14 के किला न0 24/2 में 0.0510हैक ज्यादा दी हुई है जो गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

सायला जिस रास्ता से अपने खेत में आवागमन कर रही है वह रास्ता मौके पर चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायलान बन्द करने की घमकी दे रही है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला जो एक छोटा काश्तकार है को अपूर्णीय क्षति होती है एव सायला अपनी भूमि को काश्त करने से बंचित हो जावेगी।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/427 (14) के किला न0 25/2 की 0.2280हैक व किला न0 24/2 की 0.0510हैक भूमि मे सें दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 2 बिश्वा यानी 2 गढढा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पैराकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है।

गैरसायल संख्या 1 ,8/2 ,8/6 [illegible]/6/4 , 8/7/1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब [illegible] को दोहराते हुए निवेदन किया कीसायल की भूमि खाता सं[illegible] [illegible]0 334/427(14) किला न0 1 ता 4 ,7 ,8 ,13 ,14 ,17 ,24 मे पडती है तथा प0न[illegible] 333/427(13) के किला न0 1 ता 5 में मन्जुरशुद्वा रास्ता है जो साय के खेत के चिपते हुए है तथा किला न0 2 में ढाणी बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:08 IST
Reason: SelfAttested

..3

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

रखी है तथा सायला हमेशा से ही प0न0 333/427(13) किला न0 1 में से होकर अपने खेत में प्रवेश करती है यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है इसलिये किला न0 1 में से रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी है यह प्रार्थना पत्र केवल हेरान परेशान करने के लिये पेश किया गया है प्रार्थी/सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने सायला /गैरसायलान/पेरोकार राज की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार

सायला रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 145/119 की कुल 2.100हैक की खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायलान रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 46/32 की कुल 7.1350हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है

सायला का कथन है कि सायला को उसकी खातेदार भूमि में जाने के लिये रोही मौजा चक 25 एनटीआर के किला न0 24/2 व 25/2 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे जबकि गैरसायलान का विरोध है सायला को पूर्व में किला न0 1 में से रास्ता उपलब्ध है यही से आवागमन कर रही है यही रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी है गैरसायलान की भूमि में से रास्ता स्वीकार करवाने की अधिकारी नही है।

प्रस्तुत नजरीय नक्शा के अवलोकन से सायला को स्वीकृत शुद्वा रास्ता से अपनी भूमि तक आने जाने के लिये कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है स्वीकृत शुद्वा रास्ता एव सायला के खेत के मध्य गैरसायलान की खातेदारी भूमि है सायला को उसकी भूमि में पहुचने के लिये गैरसायलान की भूमि में ही पहुचा जा सकता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायला की भूमि में जाने के लिये नही है।

गैरसायलान ने जो मुरब्बा न0 13 में से रास्ता उपलब्ध होने का कथन किया गया है जो विधि सम्मत नही है क्योकि यह रास्ता गावं से सायल की भूमि में जाने के विपरित दिशा में है गावं से चल कर जाने पर मुरब्बा नम्बर 14 का किला न0 25 काफी पहले पडता है जिससे सायला ने अपनी भूमि मे जाने के लिये रास्ता चाहा गया है गैरसायल ने मात्र अपनी भूमि में रास्ता नही देने की नियत से दुसरे काश्तकार की भूमि में से रास्ता सुझाया गया है जो न्यायोचित नही है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता गैरसायला के किला न0 24/2 , 25/2 भूमि मे सें दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम है यही रास्ता उचित है।

सायला एवं गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है सायला के कथनानुसार सायला एव गैरसायलान ने आपसी सहमति से घरू बटवारा किया जाकर वाद भूमि का बटवारा किया गया था जिसमें सायला की भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता छोडा गया था जिसके बदले में गैरसायलान को 4 बिश्वा भूमि अधिक दी गई थी जिसके सम्बध में गैरसायल ने कोई कथन व्यक्त नही किया गया है सायला के द्वारा प्रस्तुत शिर्षक के अनुसार सायला एवं गेरसायलान एक ही परिवार के प्रतीत होते है अर्थात सायला के कथनों में बल है तथा प्रस्तुत रिकार्ड से भी वाद भूमि का खाता विभाजन होना प्रतीत होता है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायला [illegible] खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है गैरसायल के द्वारा [illegible] बताया गया है वह गांव की विपरित दिशा में बताया गया है जिस [illegible] लिये सायला को अपनी भूमि का चक्कर लगाकर दुसरी और जाकर प्रवेश करना होगा [illegible]बकि सायला को गावं से चलकर जाने पर गैरसायलान की भूमि के किला न0 25/2 , 24/2 में सुलभ नजदीकी रास्ता उपलब्ध है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

अन्य कथन गेरसायल ने केवल सायला को रास्ता नही देने के लिये अंकित किये गये है सायला द्वारा चाहा गया रास्ता विधिसम्मत व उचित है जिसे सायला स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

अतः साायला का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/427 (14) के किला न0 25/2 की 0.2280हैक्‍ व किला न0 24/2 की 0.0510हैक्‍ भूमि मे सें दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 2 बिश्वा यानी 2 गढढा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायला गैरसायलान को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए रास्ते की भूमि को छोडते हुए भूमि देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:08 IST
Reason: SelfAttested